छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 2688/2006

राजेंद्र चंद्राकर .... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य .... **उत्तरवादीगण**

आदेश सूची हेतु बद्ध किया गया 23/04/2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

श्री सतीश के अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एस.बी. : माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के अग्निहोत्री

रिट याचिका संख्या 2688/2006

राजेंद्र चंद्राकर, उम्र लगभग 34 वर्ष, पिता स्व. मनोहरलाल चंद्राकर, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मत्स्य सहकारी समिति, तेलीबांधा, तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.)

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद।
2. अध्यक्ष, जय मामा भांचा सहकारी समिति, ग्राम कुर्रूभाठा, तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.)
3. लखनलाल, उपाध्यक्ष, जय मामा भांचा सहकारी समिति, ग्राम कुर्रूभाठा, तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, महासमुंद, तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.)
5. पंचायत निदेशक, छत्तीसगढ़, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग)
6. जनपद पंचायत, महासमुंद, विकासखण्ड एवं जिला महासमुंद (छ.ग)

.... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका

वर्तमान: याचिकाकर्ता की ओर से : श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 1 और 5 की ओर से: श्री सुशील दुबे, सरकारी अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 2 और 3 की ओर से: श्री जे.ए.लोहानी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 4 और 6 की ओर से : श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

---

1. इस याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मत्स्य सहकारी समिति, तेलीबांधा, जिला महासमुंद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2005 अनुलग्नक पी/3) की वैधानिकता और वैधता पर सवाल उठाते हैं, जिसमें विवादित सिंचाई तालाब के मछली पकड़ने का अधिकार उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 समिति को 5 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था, कलेक्टर, महासमुंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2005 (अनुलग्नक पी/8) जिसमें दिनांक 05.09.2005 के आदेश को वैध और उचित माना गया था और संचालक, पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2006 (अनुलग्नक पी/11) जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि तेलीबांधा सिंचाई तालाब का 58.89 हेक्टेयर डूब क्षेत्र ग्राम कुर्रूभाटा में है और 7.59 हेक्टेयर डूब क्षेत्र तेलीबांधा में है। दोनों क्षेत्र 8 किलोमीटर की परिधि में आते हैं। इस प्रकार, उत्तरवादी संख्या 2 और 3 सोसायटी को मछली पकड़ने के अधिकार के लिए पट्टा प्रदान करना न्यायसंगत और उचित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में, निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 समितियां पंजीकृत सहकारी समितियां हैं जो मछली पालन के व्यवसाय में लगी हुई हैं। 20.07.2005 को, जनपद पंचायत, महासमुंद द्वारा पंजीकृत सहकारी समिति को मछली पकड़ने के अधिकार को पट्टे पर देने के लिए अस्थायी निविदाओं पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जो 8 किलोमीटर की परिधि में संचालित होती है। याचिकाकर्ता समिति और उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3, जय मामा भांचा सहकारी समिति, कुर्रुभाटा ने इसके लिए आवेदन किया था। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, तालाब के मछली पकड़ने के अधिकार का पट्टा उत्तरवादी समिति, जय मामा भांचा सहकारी समिति, कुर्रुभाटा, (इसके बाद उत्तरवादी समिति' के रूप में संदर्भित) को 5.9.2005 के आदेश द्वारा, संकल्प दिनांक 20.7.2005 (अनुलग्नक पी / 1) के अनुसरण में प्रदान किया गया था।

3. व्यथित और असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता समिति ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 16/ए-98/2004-05 में कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें मुख्य कार्यपालन

अधिकारी, महासमुंद द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि याचिकाकर्ता समिति तेलीबांधा ग्राम में स्थित है और उसके 25 में से 24 सदस्य तेलीबांधा ग्राम के निवासी हैं। अतः शासन की नीति के अनुसार, याचिकाकर्ता समिति उक्त तालाब में मछली पकड़ने का अधिकार पाने की हकदार है। याचिकाकर्ता समिति का पंजीकरण समय से पहले का है और शासन की नीति के अनुसार याचिकाकर्ता समिति को वरीयता दी जानी चाहिए।

4. कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 13.12.200 (अनुलग्नक पी/8) के माध्यम से, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला कि डूब क्षेत्र का 58.89 हेक्टेयर क्षेत्र ग्राम कुर्रुभाटा में और 7.59 हेक्टेयर क्षेत्र ग्राम तेलीबांधा में है। इस प्रकार, नीति के अनुसार, ग्राम कुर्रुभाटा में कार्यरत संस्था, अर्थात् उत्तरवादी संस्था, को तेलीबांधा में मछली पकड़ने के अधिकार के आवंटन पर अधिमान्य अधिकार प्राप्त है और दोनों संस्थाओं का क्षेत्र 8 किलोमीटर की परिधि में आता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता संस्था द्वारा दायर अपील को अस्वीकार कर दिया गया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महासमुंद द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. कलेक्टर द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता सोसायटी ने निदेशक, पंचायत, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के समक्ष पुनरीक्षण वाद संख्या 11/ए-89/2005-06 प्रस्तुत किया। निदेशक, पंचायत ने दोनों पक्षों को सुनने और दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात, कलेक्टर द्वारा दर्ज निष्कर्षों की पुष्टि की और दिनांक 12.04.2006 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) द्वारा पुनरीक्षण को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार, यह याचिका।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे ने इस न्यायालय के समक्ष वही आधार प्रस्तुत किए जो कलेक्टर के समक्ष उठाए गए थे। इसके विपरीत, उत्तरवादी सोसाइटी और उत्तरवादी संख्या 5 और 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हैं।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, दलीलों और संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया है।

8. छत्तीसगढ़ राज्य की मत्स्य नीति के प्रासंगिक खंड अर्थात 1.1, 2.1, 2.4, 3.3, 4.2, 10.1, 10.2 और 16.2 निम्नानुसार हैं:

1.1 मत्सय पालन हेतु पट्टे पर देने के अधिकार के तहत पंचायतें तालाबों / जलाशयों को शासन द्वारा निर्धारित नियमों, शर्तों एवं प्राथमिकता के अनुसार ही पट्टे पर देगी (परिशिष्ट-1) किसी भी स्तर की पंचायत को शासन द्वारा निर्धारित नियमों से हटकर किसी भी जलाशय को पट्टे पर देने का अधिकार नहीं होगा।

2.1 शासन की स्पष्ट नीति है कि तालाब / जलाशय का पट्टा आबंटन करने हेतु निर्धारित प्राथमिकता कमानुसार ही इन तालाब / जलाशयों को गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले स्थानीय मछुओं को प्राथमिकता के आधार पर मत्स्य पालन हेतु पंचायतें पट्टे पर आबंटित कर किसी भी स्थिति में इन जलक्षेत्रों की नीलामी न करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2.4 तालाब/जलाशय की 8 कि.मी. की परिधि में आने वाली स्थानीय पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यदि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक स्थानीय पंजीकृत मंछुआ सहकारी समितियों है निर्धारित समयावधि में आवेदन देने की स्थिति में सबसे पुरानी पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को प्राथमिकता, दी जाएगी।

3.3 एक ही तालाब/जलाशय के पट्टे पर आबंटन हेतु एक से अधिक आवेदन निर्धारित समयावधि में में प्राप्त होने की दशा में प्राप्त आवेदक मछुआ समितियों, जो सबसे पुरानी समिति है पट्टा आबंटन किया जा सकेगा, किन्तु यह जलक्षेत्र समिति के कार्यक्षेत्र में हो।

4.2 नवीन सहकारी समितियों के गठन के समय यह सुनिश्चित किया जावे कि केवल वे ही व्यक्ति समिति के सदस्य बनें जो वास्तव में मछुआरे की परिभाषा में आते हों और पानी में उत्तरकर मछली पकडते हो साथ ही छत्तीसगढ का मूल निवासी हो। सहकारी समितियों के लिए गरीबी रेखा को आधार नहीं माना जावे।

10.1 मछुआ सहकारी समिति का कार्यक्षेत्र समिति के मुख्यालय से 8. कि.मी. की परिधि का होगा। तालाब / जलाशय के 8 किलो मीटर की परिधि में रहने वाले मछुआरे मछुआ समिति की सदस्यता के पात्र होंगे।

10.2 मत्स्य पालन के लिए स्थानीय पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को उनके कार्यक्षेत्र के ही तालाब / जलाशय का आबंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जावे। प्रति मछुआ जलक्षेत्र का निर्धारण उनकी आर्थिक बायेविलिटी को ध्यान रखते किया जावे ताकि मछुओ को न्यूनतम इतना जलक्षेत्र उपलब्ध हो सके कि वह मत्स्य पालन अपनाकर अपनी आजीविका का निर्वाह कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16.2 सभी स्तर की पंचायतें तालाब / जलाशय 5 वर्षीय पट्टे पर मत्स्य पालन के लिए आबंटन हेतु पंचायत अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अन्तर्गत विहित प्राधिकृत अधिकारी (कलेक्टर) से अनुमति प्राप्त कर पट्टे पर आबंटन करेगी। किसी भी स्थिति में तालाब / जलाशय की नीलामी पंचायतों द्वारा नहीं की जावेगी।

9. उपर्युक्त धाराओं को ध्यानपूर्वक पढ़ने और नीति का अवलोकन करने पर, यह ज्ञात होता है कि 8 किलोमीटर के परिधि में कार्यरत सोसायटी को वरीयता दी जानी चाहिए। यदि एक या एक से अधिक सोसायटी कार्यरत हैं, तो सबसे पुरानी सोसायटी को वरीयता दी जानी चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिक सदस्य हों। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों को मछली पकड़ने के अधिकार के लिए पट्टा देने का मापदंड नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि तालाब का बांध वाला हिस्सा तेलीबांधा गांव में स्थित है और इसे तेलीबांधा सिंचाई तालाब के रूप में जाना जाता है, इसलिए, तेलीबांधा क्षेत्र में कार्यरत सोसायटी को वरीयता दी जानी चाहिए।

वर्तमान मामले में, यह माना जाता है कि बांध तेलीबांधा गांव में स्थित है, लेकिन 80% से अधिक जल तालाब क्षेत्र कुर्रुभाटा में है। इस प्रकार, उत्तरवादी सोसायटी को मछली पकड़ने का अधिकार देना अधिक व्यवहार्य है और दोनों सोसायटी 8 किमी की परिधि के भीतर काम कर रही हैं ।

10. सोसायटी के पहले पंजीकरण के संबंध में, यह सही है कि कुछ महीनों का अंतर है, लेकिन समग्र आवश्यकता और कुर्रुभाटा गाँव के जलमग्न होने की व्यापकता को देखते हुए, उत्तरवादी सोसायटी को मछली पकड़ने का अधिकार देना न्यायोचित और उचित है। दिशानिर्देशों और नीति को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझना होगा और इसका पालन इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए कि नीति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ही नुकसान पहुँचे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि उत्तरवादी सोसाइटी को मछली पकड़ने के अधिकार का पट्टा प्रदान करना विधिक एवं उचित है। प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष उचित है।

12. वर्तमान मामले में द्वितीय पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

13. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत, इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की न्यायिक समीक्षा की अधिकारिता प्राप्त है, यदि कार्यवाही में स्पष्ट रूप से त्रुटि दिखाई देती है जो विधि के प्रावधानों के प्रति स्पष्ट अज्ञानता या घोर उपेक्षा पर आधारित है या न्याय में घोर विफलता हुई है या उसके कारण घोर अन्याय हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र में भी याचिका पर विचार कर सकता है यदि निर्णय की प्रक्रिया में, न कि निर्णय में, विकृति, अनियमितता या अवैधता हो।

14. वर्तमान मामले के तथ्यों पर कानून के उपरोक्त स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह निर्णय लिया गया की अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशित आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

15. इस प्रकार, यह याचिका खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं लिया गया है ।

सही /-

(श्री सतीश के अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Rakesh Kumar Kashyap